



मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली-110006

File No. 18/CEO/SVEEP/DLA Question /2022/ 8027-8029

Dated 25/03/2022

सेवा में


श्री नीरज अग्रवाल
उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

विषय:-दिनांक 28.03.2022 को सदन की बैठक हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 141 श्री मोहन सिंह बिष्ट,
द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्र संख्या सं.एफ.11 (बी-1)VI/2020-25/वि.स.स./प्रश्न शा./3177 दिनांक
17.03.2022 के सन्दर्भ में इस कार्यालय से उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 141 के उत्तर की 100
प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न है। इस पत्र के साथ उत्तर व उसकी सॉफ्ट कॉपी PDF फार्म में भेजी
जा रही है।

संलग्न:-उपरोक्त

भवदीय

25/03/2022

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (स्वीप)

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सचिव, माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं चुनाव, दिल्ली सरकार, ए=विंग, 8वीं मंजिल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002.
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी-दिल्ली के निजी सचिव/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निजी सहायक



मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली-110006

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 141


दिनांक:- 28.03.2022

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री मोहन सिंह बिष्ट

क्या माननीय चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
(क) करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने नये और पुराने वोट हैं:	नए वोट - 6623 (05.01.2022 को प्रकाशित हुई निर्वाचक नामावली के बाद और 21.03.2022 तक जोड़े गये वोट) पुराने वोट -289305 (05.01.2022 को प्रकाशित हुई निर्वाचक नामावली के अनुसार)
(ख) क्या यह भी सत्य है कि करावल नगर विधान सभा में अधिकतर क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं:	हां।
(ग) क्या यह भी सत्य है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के अधिकतर वोट दिल्ली अंतर्गत बदरपुर खादर, चौहान पट्टी, कमल विहार, शहीद भगत सिंह कालोनी आदि क्षेत्रों में बने हुए हैं:	नहीं।
(घ) चुनाव आयोग द्वारा इन वोटों की कब-कब जांच की गई:	लागू नहीं हैं।
(ङ) उत्तर प्रदेश के ऐसे वोट जो दिल्ली के अंतर्गत बने हुए हैं; इनके नामों को मतदाता सूची से न हटाए जाने के क्या कारण हैं; और	लागू नहीं हैं।
(च) इनको कब तक हटा दिया जाएगा?	लागू नहीं हैं।

यह उत्तर माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं चुनाव द्वारा अनुमोदित किया गया है।

भवदीय

(ललित मिश्रा)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (स्वीप)